छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा एकादश सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021

(श्रावण 8, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 39 तारांकित एवं 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 04 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण में आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत की, आधे घंटे की चर्चा आगामी सत्र में होगी ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक

महालेखापरीक्षक से प्राप्त राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 01),

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 02) तथा

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन,छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 03),

पटल पर रखे ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 27 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधानसभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम तीन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि 01 से 03 तक की सूचना ली जावेगी ।

(1) श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य ने जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा फर्नीचर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) सर्वश्री सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने बलौदाबाजार जिले में स्थापित श्री सीमेंट प्लांट में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के अभाव में दो मजदूरों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने सिमगा शराब दुकान में देशी अवैध शराब बिना स्कैनिंग के उतारे जाने की ओर वाणिज्यिक कर(आबकारी) मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

4.बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा आरोपों के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि कार्यसूची के पद 3 के उप पद (4) से (27) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे । सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा ।

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
4.	श्री नारायण चंदेल
5.	श्री सत्यनारायण शर्मा
6.	डॉ. रमन सिंह, श्री डमरूधर पुजारी

7. श्री शिवरतन शर्मा

8. श्री नारायण चंदेल

9. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

10. श्री नारायण चंदेल

11. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल

12. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल

13. सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल

14. श्री शिवरतन शर्मा

15. श्री शिवरतन शर्मा

16. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

17. श्री देवव्रत सिंह

18. श्री कुलदीप जुनेजा

19. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह

20. सर्वश्री सौरभ सिंह, धरमलाल कौशिक

21. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा

22. श्री धर्मजीत सिंह

23. श्री धर्मजीत सिंह

24. श्री बृजमोहन अग्रवाल

25. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

26. श्री ननकीराम कंवर

27. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

6. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे ।

(1) श्री लालजीत सिंह राठिया

(2) श्री नारायण चंदेल

(3) श्री गुलाब कमरो

(4) श्रीमती डॉ. रेणु जोगी

(5) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(7) श्री सौरभ सिंह

(8) श्री धरमलाल कौशिक

(9) श्री रजनीश कुमार सिंह

(10) श्री शिवरतन शर्मा

(11) श्री लखेश्वर बघेल

(12) श्री धर्मजीत सिंह

(13) श्री चंदन कश्यप

(14) श्री दलेश्वर साहू

(15) श्री पुन्नूलाल मोहले

(16) श्री आशीष कुमार छाबड़ा

(17) श्रीमती डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

(18) श्री अरूण वोरा

(19) श्री संतराम नेताम

(20) श्री प्रमोद कुमार शर्मा

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री धरमलाल कौशिक

(2) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

(3) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

(4) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा

(5) श्रीमती ममता चन्द्राकर

(6) श्री पुरूषोत्तम कंवर

8. मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने दिनांक 24 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित, तारांकित प्रश्न संख्या-12 (क्र-2769) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य दिया ।

9. सदन को सूचना

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार, उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कार करने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह माननीय राज्यपाल महोदया, सुश्री अनुसुईया उइके जी के मुख्य अतिथि में विधानसभा परिसर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में शुक्रवार दिनांक 30.07.2021 को दोपहर 1:30 बजे से आयोजित किया गया है।

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह के पश्चात् सेंट्रल हाल में माननीय श्री कवासी लखमा जी की ओर से दोपहर भोज की व्यवस्था है। दोपहर भोज में समस्त माननीय सदस्यगण, पत्रकारगण आमंत्रित हैं। बारिश होने की स्थिति में सदन से प्रेक्षागृह एवं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् प्रेक्षागृह से सेंट्रल हाल जाने हेतु पोर्च में बस की व्यवस्था है।

(12.57 बजे से 3.40 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

10. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाही।

सभापति महोदय ने प्रस्ताव पर सभा का मत लिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधेयक के पुर:स्थापन संबंधी संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मत विभाजन की मांग की गई ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

अशासकीय विधेयक पर मत विभाजन हुआ ।

अशासकीय विधेयक के पक्ष में 13 और विपक्ष में 54 मत प्राप्त हुए ।

पुर:स्थापन की अनुमति नहीं दी गई ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

11. अशासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2022 से पूर्ण शराब बंदी की जाये ।"

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प के पक्ष में 13 एवं विपक्ष में 58 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

2. सदन का यह मत है कि "संत रविदास की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाये ।"

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की।

संकल्प वापस हुआ ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में शामिल क्रमांक 3 अशासकीय संकल्प को आगामी सत्र में लिया जायेगा ।)

12. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री अरूण वोरा, सदस्य, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार-

(1) माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019

(2) माननीय श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य द्वारा श्री कुंभनदास आड़िया एवं श्री अमरीश कुमार आड़िया के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 10.11.2020, पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

(1) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि

मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020

(2) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/2020 दिनांक 23.10.2020

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

14. नियम 167 (1) के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

(1) माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा प्राचार्य, पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 28/2021 दिनांक 15.03.2021

(2) माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री नारायण चंदेल द्वारा माननीय सदस्य श्री बृहस्पत सिंह, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी श्री पी.एल. पुनिया व प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री श्री रवि घोष के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 29/2021 दिनांक 29.07.2021

को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

15. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

पंचम विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का आज अंतिम कार्यदिवस है । यह पावस सत्र दिनांक 26 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य आहूत था। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इस सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं ।

छत्तीसगढ़ राज्य, देश और विश्व कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित है । इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति के लिए जो सजगता और समर्पण

प्रदर्शित किया है, उसकी मैं मुक्तकंठ से सराहना करता हूं।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारा देश और राज्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को कायम किये हुए है, इसका प्रमाण है कि टोकियो में चल रही ओलम्पिक प्रतियोगिता में भारत की बेटी मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है, वहीं छत्तीसगढ़ बस्तर की बेटी नैना धाकड़ ने एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल कर तिरंगा लहराया है, छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है । मैं इन दोनों बहादुर बेटियों को अपनी ओर से और सदन की ओर से बधाई देता हूं ।

आज का दिवस हम सबके लिए उपलब्धियों का दिवस है, अब से थोड़ी देर पहले उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में माननीय राज्यपाल महोदया जी ने छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण के संदर्भ में जो विशेषताएं चिह्नांकित कीं, इन उपलब्धियों का पूरा श्रेय माननीय सदस्यगणों के संसदीय आचरण को, आपकी जागरूकता को, आपके समर्पण को जाता है । मैं आप सभी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतांत्रिक संसदीय मूल्यों के प्रति आस्था की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं । इस सत्र में उत्पन्न परिस्थितियॉ और उसका पटाक्षेप इसका जीवंत प्रमाण है । इसी तारतम्य में मेरा यह आग्रह है कि आप अपनी वाणी में संयम रखने का प्रयास करें । वाणी के संदर्भ में पूज्य संत कबीरदास जी ने

लिखा है कि -

ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए ।
औरन को शीतल करे, आपहूं शीतल होए ।।

माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धरम लाल कौशिक जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ दल के नेता माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, ब.स.पा. दल के नेता माननीय श्री केशव चन्द्रा जी एवं प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यगणों को सदन संचालन में आपके सहयोग के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं ।

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं इस बात के लिए विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा कि सदन में गतिरोध को समाप्त करने के लिए वे उदार मन से तत्पर रहें । निश्चित ही उनकी यह भावना लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रबल आस्था का प्रमाण है ।

अब मैं आपको इस पावस सत्र में संपादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा।

इस सत्र में कुल 5 बैठकें हुईं, जिसमें लगभग 27 घंटे 42 मिनट चर्चा हुई। 30 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 6 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 375 एवं अतारांकित प्रश्नों की 342 सूचनाएं प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 717 प्रश्नों की सूचनांए प्राप्त हुई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 244 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 65 सूचनाएं ग्राह्य हुई। इस सत्र में स्थगन की कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें एक विषय से सबंधित 14 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् चर्चा हेतु ग्राह्य किया गया। शून्यकाल की 79 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 40 सूचनाएं ग्राह्य और 39 सूचनाएं अग्राह्य रहीं तथा वर्तमान सत्र में 101 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 38 ग्राह्य व 63 अग्राह्य रही। 4 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 04 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 4 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 4 पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 5 घंटे 3 मिनट चर्चा हुईं।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस पावस सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस पावस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परम्परा रही है। तत्सम्बन्ध में यह अनुमान है कि पंचम विधानसभा का बारहवां सत्र दिसम्बर माह के तृतीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

आईये हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

धन्यवाद, जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से औपचारिक कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य ने भी उद्गार व्यक्त किये ।

16. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

सायं 06.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा